

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 970/2024

अनवान : -

1- हनुमान पुत्र रोहताश कुमार जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान हाल गिला खेड़ा तहसील व जिला फतेहबाद।

— वादी

बनाम

1- सीता देवी पत्नी रोहताश कुमार जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान हाल गिला खेड़ा तहसील व जिला फतेहबाद।

2- सुभाष चन्द्र पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान हाल गिला खेड़ा तहसील व जिला फतेहबाद।

3- जगदीश पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान हाल गिला खेड़ा तहसील व जिला फतेहबाद।

4- कृष्ण कुमार पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान हाल गिला खेड़ा तहसील व जिला फतेहबाद।

5- सोनिया पुत्री रोहताश कुमार जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान हाल गिला खेड़ा तहसील व जिला फतेहबाद।

6- अन्जू पुत्री रोहताश कुमार जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान हाल गिला खेड़ा तहसील व जिला फतेहबाद।

7- मोनू देवी पुत्री रोहताश कुमार जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान हाल गिला खेड़ा तहसील व जिला फतेहबाद।

8- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— प्रतिवादीगण


दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त०
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज

निर्णय


दिनांक: 07/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 28 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 117/117 के कुल खसरे 10 की कुल तादादी 1.4160 है० मृतक रोहताश पुत्र रणजीत के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 149/149 के कुल खसरे 11 की कुल तादादी 1.3780 है० भूमि अधिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 55/55 के कुल खसरे 10 की कुल तादादी 1.3670 है० भूमि


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खाता संख्या 36/35 के कुल खसरे 10 की कुल तादादी 1.4050 है। भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज है।

वादी के पिता रोहताश पुत्र रणजीत का स्वर्गवास हो चुका है जिनके स्वर्गवास के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 जायज वारिस है। प्रतिवादीया संख्या 5 ता 7 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपनी माता व भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग मृतक सोहताश के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादीया संख्या 1 ब0 हि0 ब0 हक हिस्सा है। वादी के पिता जीवनकाल में वादी के पिता व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने उपरोक्त भूमि का खाता विभाजन करवाया था लेकिन मौका पर कब्जा काबिज में भिन्नता होने के कारण से वादी व प्रतिवादीगण मुताबिक समझोता निम्न प्रकार से काबिज है प0 नं0 321/415 (15) के किला नं. 21/2 के मिन दक्षिण की 0.0759 है0 प0 नं0 320/416 (21) के किला नं. 16/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 16/2 की 0.2280 है, 17 की 0.253 है, 18/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 18/2 की 0.228 है0, 19 की 0.253 है0 व पं0 नं0 321/416 (20) के किला नं. 19 की 0.253 है0, 20 की 0.253 है0 कुल 1.5939 है0 पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा प0 नं0 320/416 (21) के किला 5/1 की 0.101 है0 में से मिन पूर्व की 0.0506 है0, 22/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 22/2 की 0.2280 है0, 23 की 0.253 है0, 24/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 नहरी, 24/2 की 0.228 है0, 25/1 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता, 25/2 की 0.227 है0 प0 नं0 321/416 (20) के किला नं. 21 की 0.253 है0, 22 की 0.253 है0 कुल 1.5686 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है एवं प0 नं0 320/414 (11) के किला नं. 21/2 की 0.1270 है0, 22/2 की 0.1260 है0, 23/2 की 0.1270 है0, 24/2 की 0.126 है0, 25/2 की 0.114 है0, 25/4 की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता प0 नं0 320/416 (21) के किला नं. 5/1 की 0.101 है0 में से मिन पश्चिम की 0.0504 है0, 5/2 की 0.101 है0, 5/3 की 0.012 है0 गै0 मु0 रास्ता 5/4 की 0.039 है0 गै0 मु0 रास्ता व प0 नं0 321/414 (10) के किला नं. 21/2 की 0.126 है0 व प0 नं0 320/415 (14) के किला नं. 1/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 1/2 के मिन उत्तर की 0.027 है0, 2/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 2/2 के मिन उत्तर की 0.027 है0, 3/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 3/2 के मिन उत्तर की 0.027 है0, 4/1 की 0.026 है0 गै0 मु0 खाला, 4/2 के मिन उत्तर की 0.026 है0, 5/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 5/3 के मिन उत्तर की 0.02635 है0 कुल 1.22075 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है एवं प0 नं0 321/415 (15) के किला नं. 21/1 की 0.127 है0, 21/2 की 0.126 है0 में से मिन उत्तर की 0.0501 है0 प0 नं0 320/416 (14) के किला नं. 1 के मिन दक्षिण की 0.201 है0, 2 के मिन दक्षिण की 0.201 है0, 3 के मिन दक्षिण की 0.201 है0, 4 के मिन दक्षिण की 0.201 है0, 5/2 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/3 के मिन दक्षिण की 0.17565 है0 कुल 1.18275 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। यही विनाय दावा है।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 8 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्य प्रमाण पत्र रोहताश पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 व मृतक रोहताश के नाम दर्ज है। वादी के पिता रोहताश पुत्र रणजीत का स्वर्गवास हो चुका है जिनके स्वर्गवास के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 जायज वारिस है। प्रतिवादीया संख्या 5 ता 7 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपनी माता व भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग मृतक सोहताश के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादीया संख्या 1 ब० हि० ब० हक हिस्सा है। वादी के पिता जीवनकाल में वादी के पिता व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने उपरोक्त भूमि का खाता विभाजन करवाया था लेकिन मौका पर कब्जा काबिज में भिन्नता होने के कारण से वादी व प्रतिवादीगण द्वारा बाहमी बंटवारा किया गया एवं मुताबिक बाहमी बंटवारा काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 28 एनटीआर तहसील

उपखण्ड अधिकारी
नोहर


नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 117/117 के कुल खसरे 10 की कुल तादादी 1.4160 है0 मृतक रोहताश पुत्र रणजीत के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 149/149 के कुल खसरे 11 की कुल तादादी 1.3780 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 55/55 के कुल खसरे 10 की कुल तादादी 1.3670 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खाता संख्या 36/35 के कुल खसरे 10 की कुल तादादी 1.4050 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज है। वादी का कथन है कि वादी के पिता रोहताश पुत्र रणजीत का स्वर्गवास हो चुका है जिनके स्वर्गवास के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 जायज वारिस है। प्रतिवादीया संख्या 5 ता 7 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपनी माता व भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग मृतक सोहताश के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादीया संख्या 1 ब0 हि0 ब0 हक हिस्सा है। वादी के पिता जीवनकाल में वादी के पिता व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने उपरोक्त भूमि का खाता विभाजन करवाया था लेकिन मौका पर कब्जा काबिज में भिन्नता होने के कारण से वादी व प्रतिवादीगण द्वारा बाहमी बंटवारा किया गया एवं मुताबिक बाहमी बंटवारा काबिज है। पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा मृतक रोहताश के अन्य कोई वारिस नही है। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 28 एनटीआर के खाता संख्या 117/117 में मृतक रोहताश पुत्र रणजीत का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 321/415 (15) के किला नं. 21/2 के मिन दक्षिण की 0.0759 है0 प0 नं0 320/416 (21) के किला नं. 16/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 16/2 की 0.2280 है, 17 की 0.253 है, 18/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 18/2 की 0.228 है0, 19 की 0.253 है0 व पं0 नं0 321/416 (20) के किला नं. 19 की 0.253 है0, 20 की 0.253 है0 कुल 1.5939 है0 वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प0 नं0 320/416 (21) के किला 5/1 की 0.101 है0 में से मिन पूर्व की 0.0506 है0, 22/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 22/2 की 0.2280 है0, 23 की 0.253 है0, 24/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 नहरी, 24/2 की 0.228 है0, 25/1 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता, 25/2 की 0.227 है0 प0 नं0 321/416 (20) के किला नं. 21 की 0.253 है0, 22 की 0.253 है0 कुल 1.5686 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 320/414 (11) के किला नं. 21/2 की 0.1270 है0, 22/2 की 0.1260 है0, 23/2 की 0.1270 है0, 24/2 की 0.126 है0, 25/2 की 0.114 है0, 25/4 की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता प0 नं0 320/416 (21) के किला नं. 5/1 की 0.101 है0 में से मिन पश्चिम की 0.0504 है0, 5/2 की

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

0.101 है0, 5/3 की 0.012 है0 गै0 मु0 रास्ता 5/4 की 0.039 है0 गै0 मु0 रास्ता व प0 नं0 321/414 (10) के किला नं. 21/2 की 0.126 है0 व प0 नं0 320/415 (14) के किला नं. 1/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 1/2 के मिन उत्तर की 0.027 है0, 2/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 2/2 के मिन उत्तर की 0.027 है0, 3/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 3/2 के मिन उत्तर की 0.027 है0, 4/1 की 0.026 है0 गै0 मु0 खाला, 4/2 के मिन उत्तर की 0.026 है0, 5/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 5/3 के मिन उत्तर की 0.02635 है0 कुल 1.22075 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 321/415 (15) के किला नं. 21/1 की 0.127 है0, 21/2 की 0.126 है0 में से मिन उत्तर की 0.0501 है0 प0 नं0 320/416 (14) के किला नं. 1 के मिन दक्षिण की 0.201 है0, 2 के मिन दक्षिण की 0.201 है0, 3 के मिन दक्षिण की 0.201 है0, 4 के मिन दक्षिण की 0.201 है0, 5/2 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/3 के मिन दक्षिण की 0.17565 है0 कुल 1.18275 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 970/2024

अनवान : -

1- हनुमान पुत्र रोहताश कुमार जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान हाल गिला खेड़ा तहसील व जिला फतेहबाद।

— वादी

बनाम

1- सीता देवी पत्नी रोहताश कुमार जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान हाल गिला खेड़ा तहसील व जिला फतेहबाद।

2- सुभाष चन्द्र पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान हाल गिला खेड़ा तहसील व जिला फतेहबाद।

3- जगदीश पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान हाल गिला खेड़ा तहसील व जिला फतेहबाद।

4- कृष्ण कुमार पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान हाल गिला खेड़ा तहसील व जिला फतेहबाद।

5- सोनिया पुत्री रोहताश कुमार जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान हाल गिला खेड़ा तहसील व जिला फतेहबाद।

6- अन्जू पुत्री रोहताश कुमार जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान हाल गिला खेड़ा तहसील व जिला फतेहबाद।

7- मोनू देवी पुत्री रोहताश कुमार जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान हाल गिला खेड़ा तहसील व जिला फतेहबाद।

8- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 970 सन 2024 निर्णय दिनांक 07/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 28 एनटीआर के खाता संख्या 117/117 में मृतक रोहताश पुत्र रणजीत का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 321/415 (15) के किला नं. 21/2 के मिन दक्षिण की 0.0759 है0 प0 नं0 320/416 (21) के किला नं. 16/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 16/2 की 0.2280 है, 17 की 0.253 है, 18/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 18/2 की 0.228 है0, 19 की 0.253 है0 व पं0 नं0 321/416 (20) के किला नं. 19 की 0.253 है0, 20 की 0.253 है0 कुल 1.5939 है0 वादी


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प0 नं0 320/416 (21) के किला 5/1 की 0.101 है0 में से मिन पूर्व की 0.0506 है0, 22/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 22/2 की 0.2280 है0, 23 की 0.253 है0, 24/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 नहरी, 24/2 की 0.228 है0, 25/1 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता, 25/2 की 0.227 है0 प0 नं0 321/416 (20) के किला नं. 21 की 0.253 है0, 22 की 0.253 है0 कुल 1.5686 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 320/414 (11) के किला नं. 21/2 की 0.1270 है0, 22/2 की 0.1260 है0, 23/2 की 0.1270 है0, 24/2 की 0.126 है0, 25/2 की 0.114 है0, 25/4 की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता प0 नं0 320/416 (21) के किला नं. 5/1 की 0.101 है0 में से मिन पश्चिम की 0.0504 है0, 5/2 की 0.101 है0, 5/3 की 0.012 है0 गै0 मु0 रास्ता 5/4 की 0.039 है0 गै0 मु0 रास्ता व प0 नं0 321/414 (10) के किला नं. 21/2 की 0.126 है0 व प0 नं0 320/415 (14) के किला नं. 1/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 1/2 के मिन उत्तर की 0.027 है0, 2/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 2/2 के मिन उत्तर की 0.027 है0, 3/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 3/2 के मिन उत्तर की 0.027 है0, 4/1 की 0.026 है0 गै0 मु0 खाला, 4/2 के मिन उत्तर की 0.026 है0, 5/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 5/3 के मिन उत्तर की 0.02635 है0 कुल 1.22075 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 321/415 (15) के किला नं. 21/1 की 0.127 है0, 21/2 की 0.126 है0 में से मिन उत्तर की 0.0501 है0 प0 नं0 320/416 (14) के किला नं. 1 के मिन दक्षिण की 0.201 है0, 2 के मिन दक्षिण की 0.201 है0, 3 के मिन दक्षिण की 0.201 है0, 4 के मिन दक्षिण की 0.201 है0, 5/2 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/3 के मिन दक्षिण की 0.17565 है0 कुल 1.18275 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर